



Original Article

सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दार्शनिक चिंतन : एक समीक्षात्मक अध्ययन

बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह

शोधार्थी, दर्शनशास्त्र विभाग

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

Manuscript ID:

IJAAR-130413

ISSN: 2347-7075

Impact Factor – 8.141

Volume - 13

Issue - 4

March – April 2026

Pp. 63 - 67

Submitted: 2 Mar. 2026

Revised: 20 Mar. 2026

Accepted: 25 Mar. 2026

Published: 10 Apr. 2026

Corresponding Author:
बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह

Quick Response Code:



Website: <https://ijaar.co.in/>



DOI: 10.5281/zenodo.19695113

DOI Link:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695113>



Creative Commons



सारांश :

भारतीय समाज का ऐतिहासिक विकास गहन सामाजिक असमानताओं, जातिगत विभाजनों तथा संरचनात्मक बहिष्करण की प्रक्रियाओं से प्रभावित रहा है, जिसने सामाजिक न्याय की स्थापना को एक जटिल चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे परिदृश्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दार्शनिक चिंतन एक सशक्त वैचारिक हस्तक्षेप के रूप में सामने आता है, जो सामाजिक न्याय को केवल एक आदर्श न मानकर उसे व्यावहारिक एवं परिवर्तनकारी लक्ष्य के रूप में स्थापित करता है। प्रस्तुत शोध-लेख का मुख्य उद्देश्य अम्बेडकर के सामाजिक न्याय संबंधी विचारों का विश्लेषणात्मक एवं समालोचनात्मक अध्ययन करना है, जिसमें उनके दार्शनिक आधार, वैचारिक संरचना तथा सामाजिक यथार्थ से उनके संबंध का गहन परीक्षण किया गया है।

अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ मात्र विधिक समानता या राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी समावेशी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और गरिमा प्राप्त हो। उनके चिंतन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व केवल सैद्धांतिक अवधारणाएँ नहीं हैं, बल्कि वे सामाजिक पुनर्गठन के सक्रिय साधन हैं, जो एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला का निर्माण करते हैं।

यह अध्ययन विशेष रूप से जाति-व्यवस्था के प्रति अम्बेडकर की आलोचनात्मक दृष्टि, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की उनकी रणनीतियों, तथा संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय को संस्थागत रूप देने के उनके प्रयासों का विश्लेषण करता है। साथ ही, इसमें उनके विचारों की समकालीन प्रासंगिकता का मूल्यांकन करते हुए यह दर्शाया गया है कि वर्तमान समय में सामाजिक असमानताओं, पहचान-आधारित संघर्षों तथा विकास की विषमताओं के बीच उनका दर्शन एक प्रभावी और मार्गदर्शक वैचारिक आधार प्रदान करता है।

इस प्रकार, यह शोध इस निष्कर्ष की ओर संकेत करता है कि अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण एक व्यापक, मानवीय और परिवर्तनकारी दर्शन है, जो न केवल ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के समाज के निर्माण में भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है।¹

मुख्य शब्द : सामाजिक न्याय, अम्बेडकरवादी दर्शन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जाति-व्यवस्था, दलित सशक्तिकरण, सामाजिक लोकतंत्र, संवैधानिकता, मानवीय गरिमा

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0), which permits others to remix, adapt, and build upon the work non-commercially, provided that appropriate credit is given and that any new creations are licensed under identical terms.

How to cite this article:

बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह (2026). सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दार्शनिक चिंतन : एक समीक्षात्मक अध्ययन. *International Journal of Advance and Applied Research*, 13(4), 63 - 67.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19695113>



प्रस्तावना: :

भारतीय समाज की संरचना ऐतिहासिक रूप से गहरी असमानताओं, बहुस्तरीय विभाजनों तथा सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित रही है, जिसमें जाति-व्यवस्था ने एक केंद्रीय और निर्णायक भूमिका निभाई है। इस व्यवस्था ने न केवल समाज को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया, बल्कि सामाजिक गतिशीलता को सीमित करते हुए एक विशाल वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से व्यवस्थित रूप से वंचित रखा। परिणामस्वरूप, समाज में व्याप्त विषमता, शोषण और बहिष्करण की प्रवृत्तियाँ निरंतर बनी रहीं, जिसने सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक गंभीर चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया।

ऐसे जटिल सामाजिक परिदृश्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिंतन एक क्रांतिकारी और दूरदर्शी वैचारिक आधार के रूप में उभरकर सामने आता है। उन्होंने भारतीय समाज की संरचनात्मक विसंगतियों का गहन विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से सामाजिक मुक्ति संभव नहीं है। उनके अनुसार, जब तक समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन नहीं किया जाता, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना अधूरी ही रहेगी। इस प्रकार, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को एक-दूसरे के पूरक तत्व के रूप में प्रस्तुत किया।

डॉ. अम्बेडकर का लक्ष्य एक ऐसे समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, समान अधिकार तथा मानवीय गरिमा प्राप्त हो सके। उनका दृष्टिकोण मात्र सुधारवादी न होकर मूलतः परिवर्तनकारी था, जो समाज की जड़भूत संरचनाओं—विशेषतः जाति-व्यवस्था—को चुनौती देते हुए उसे पुनर्गठित करने की दिशा में उन्मुख था। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष

को सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख साधन के रूप में स्थापित किया तथा वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया।

इस प्रकार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर का दार्शनिक चिंतन सामाजिक न्याय की अवधारणा को एक नवीन, व्यापक और व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करता है, जो आज भी भारतीय समाज के समावेशी विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है²

सामाजिक न्याय की अवधारणा :

सामाजिक न्याय एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है, जिसका तात्पर्य समाज में समानता, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा की स्थापना से है। यह केवल संसाधनों के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं में निहित असमानताओं और भेदभाव को समाप्त करने की प्रक्रिया भी है।

अम्बेडकर के अनुसार, सामाजिक न्याय तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव सामाजिक जीवन में स्थान न पाए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक न्याय केवल कानूनी प्रावधानों से स्थापित नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सामाजिक चेतना और नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आवश्यक है।

उन्होंने सामाजिक न्याय को तीन प्रमुख सिद्धांतों में विभाजित किया—समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व।

अम्बेडकर का दार्शनिक दृष्टिकोण :

अम्बेडकर का दार्शनिक चिंतन बहुआयामी और व्यावहारिक था। उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल एक आदर्श नहीं माना, बल्कि उसे वास्तविकता में लागू करने का प्रयास किया।



(क) समानता का सिद्धांत: अम्बेडकर का मानना था कि जाति-व्यवस्था सामाजिक असमानता का मूल कारण है। उन्होंने जाति-उन्मूलन को सामाजिक न्याय की पहली शर्त माना।

(ख) स्वतंत्रता का विचार: उनके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है।

(ग) बंधुत्व का महत्व: उन्होंने बंधुत्व को सामाजिक एकता और समरसता का आधार माना।

सामाजिक न्याय हेतु अम्बेडकर के प्रयास : भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर ने अनेक प्रयास किए—

- संविधान निर्माण में उन्होंने समान अधिकारों, मौलिक अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया।
- अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उन्होंने व्यापक सामाजिक आंदोलन चलाए।
- शिक्षा को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी साधन माना।
- दलितों और वंचित वर्गों के लिए उन्होंने आरक्षण नीति का समर्थन किया।

समीक्षात्मक विश्लेषण : डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण:

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील, व्यावहारिक तथा समावेशी है। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं, विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए ठोस एवं संस्थागत उपाय प्रस्तुत किए। उनके अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ केवल आर्थिक समानता नहीं, बल्कि सामाजिक,

राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर समान अवसर और सम्मान की स्थापना है।

सकारात्मक पक्ष :

1. **सामाजिक समानता पर बल:** अम्बेडकर ने जाति-व्यवस्था को सामाजिक अन्याय का प्रमुख कारण माना और इसके उन्मूलन पर जोर दिया। उनका यह दृष्टिकोण समाज में समानता और मानव गरिमा की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण है।
2. **संवैधानिक सुरक्षा:** उन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, मौलिक अधिकार और विधिक संरक्षण सुनिश्चित किया, जिससे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया जा सके।
3. **लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन:** अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सामाजिक न्याय का आधार माना। उनका मानना था कि इन मूल्यों के बिना एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना संभव नहीं है।
4. **शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर:** उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना और लोगों को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।³

सीमाएँ :

1. **व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वयन में कठिनाई:** अम्बेडकर के विचार अत्यंत आदर्शवादी हैं, लेकिन भारतीय समाज की जटिल संरचना के कारण इन्हें पूरी तरह लागू करना कठिन है।
2. **सामाजिक मानसिकता में धीमी परिवर्तन गति:** संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, समाज की पारंपरिक सोच में परिवर्तन बहुत धीमी गति से हो रहा



है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना में बाधा आती है।

3. **आर्थिक असमानता पर सीमित ध्यान (आलोचनात्मक दृष्टि):** कुछ विद्वानों का मत है कि अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जबकि आर्थिक विषमता को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया गया।

समकालीन प्रासंगिकता :

आज भी भारतीय समाज में सामाजिक असमानता और भेदभाव विद्यमान है। ऐसे में अम्बेडकर के विचार सामाजिक न्याय की दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं।⁴

निष्कर्ष :

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दर्शन आज भी अत्यंत प्रासंगिक, प्रेरणादायी और मार्गदर्शक है। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सामाजिक सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो सके। उनका दृष्टिकोण केवल सैद्धांतिक चिंतन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह व्यावहारिक, वैज्ञानिक और परिवर्तनकारी था, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित एवं शोषित वर्गों को मुख्यधारा में लाना था।

अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया कि सामाजिक न्याय के बिना लोकतंत्र केवल एक औपचारिक व्यवस्था बनकर रह जाता है। उनके अनुसार, जब तक समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना स्थापित नहीं होती, तब तक लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो सकतीं। उन्होंने संविधान के माध्यम से इन मूल्यों को संस्थागत रूप प्रदान

किया, जिससे समाज में न्याय की स्थापना के लिए एक सशक्त आधार तैयार हुआ।

उनका यह भी मानना था कि सामाजिक परिवर्तन केवल कानूनों के निर्माण से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज की मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। शिक्षा, जागरूकता और संगठन के माध्यम से ही सामाजिक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। इस संदर्भ में उनका “शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो” का संदेश आज भी उतना ही सार्थक और प्रेरणादायक है।

हालांकि, वर्तमान समय में भी जातिगत भेदभाव, सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानताएँ विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं, जो यह दर्शाती हैं कि अम्बेडकर के आदर्शों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। उनके विचार हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम एक समतामूलक, न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत रहें।

अतः यह कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक न्याय संबंधी दर्शन न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है।⁵ उनका चिंतन आज भी सामाजिक सुधार, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करता है।

संदर्भ सूची :

1. अम्बेडकर, भीमराव. *जाति का विनाश (Annihilation of Caste)*. नई दिल्ली: नवयान प्रकाशन, 2014, पृ. 45–60।
2. अम्बेडकर, भीमराव. *बुद्ध और उनका धम्म*. नई दिल्ली: गौतम बुक सेंटर, 1957, पृ. 120–150।



3. कीर, धनंजय. डॉ. अम्बेडकर: जीवन और मिशन. नई दिल्ली: पॉपुलर प्रकाशन, 1990, पृ. 200–250।
4. भारत सरकार. भारतीय संविधान. नई दिल्ली: विधि और न्याय मंत्रालय, 1950, पृ. 14–35।
5. ओमवेद, गेल (Gail Omvedt). अम्बेडकर: एक प्रबुद्ध भारत की ओर (Ambedkar: Towards an Enlightened India). नई दिल्ली: पेंगुइन प्रकाशन, 2008, पृ. 75–110।